भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3026

11 मार्च, 2026 के लिए प्रश्न

एफसीआई और सीडब्ल्यूसी के संचालन के लिए निधि आवंटन

3026. श्री डी. एम. कथीर आनंद:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए उचित उपाय किए हैं कि भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) और केन्द्रीय भंडारण निगम (सीडब्ल्यूसी) का परिचालन क्षमताओं के साथ कुशलतापूर्वक प्रबंधन किया जाए और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने खाद्यान्नों की खरीद, भंडारण और वितरण में भारतीय खाद्य निगम और केन्द्रीय भंडारण निगम की प्रचालनात्मक दक्षता में सुधार करने के लिए इनकी पुनर्संरचना हेतु शांता कुमार समिति द्वारा सुझाए गए सुधारों को कार्यान्वित किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) विगत पांच वर्षों के दौरान तमिलनाडु में भारतीय खाद्य निगम और केन्द्रीय भंडारण निगम को आवंटित की गई निधियों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क) से (ग): जी हां। माननीय श्री शांता कुमार की अध्यक्षता में गठित भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के पुनर्गठन संबंधी उच्चस्तरीय समिति (एचएलसी) द्वारा की गई अनुशंसाओं के संदर्भ में, एफसीआई मे भंडारण अवसंरचना और प्रचालन से संबंधित प्रमुख अनुशंसाओं को लागू किया गया।

समिति ने अनुशंसा की थी कि एफसीआई को अपने भंडारण संचालनों को निजी उद्यमी गारंटी (पीईजी) स्कीम के तहत केंद्रीय भंडारण निगम (सीडब्ल्यूसी), राज्य भंडारण निगमों (एसडब्ल्यूसी), निजी निवेशकों और साथ ही निजी संस्थाओं के माध्यम से साइलो निर्माण करने वाली राज्य सरकारों को आउटसोर्स करना चाहिए। यह भी सलाह दी गई थी कि ऐसे अनुबंध प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से किए जाएं ताकि भागीदारी बढ़ाई जा सके और भंडारण लागत को कम किया जा सके।

एचएलसी ने इस बात पर भी जोर दिया कि प्रत्येक राज्य, विशेषकर पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू-कश्मीर जैसे कमी वाले और दुर्गम भू-भाग वाले राज्यों को, अपनी कम से कम तीन माह की खपत आवश्यकता के बराबर खाद्यान्न भंडार बनाए रखना चाहिए।

...2/-

इस संबंध में, दिनांक 01.02.2026 की स्थिति के अनुसार, देश भर में केंद्रीय पूल खाद्यान्न स्टॉक के भंडारण के लिए भारतीय खाद्य निगम के पास उपलब्ध कुल कवर्ड भंडारण क्षमता 470.67 लाख टन (स्वयं की- 147.20 लाख टन + किराए पर ली गई - 323.47 लाख टन) है और राज्य एजेंसियों के पास कुल कवर्ड भंडारण क्षमता 381.92 लाख टन उपलब्ध है। इसका उपयोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत खरीद आवश्यकताओं, बफर मानदंडों और प्रचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है।

खरीद स्तर और भंडारण की कमी के आधार पर भंडारण क्षमताओं का लगातार आकलन किया जाता है और निम्नलिखित स्कीमों के माध्यम से इन्हें बढ़ाया जा रहा है:

1. निजी उद्यमी गारंटी (पीईजी) स्कीम
2. केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम (सीएसएस) 2017-2025 (दिनांक 31.03.2025 को समाप्त)
3. पीपीपी मोड के तहत साइलो का निर्माण
4. केंद्रीय भंडारण निगमों/राज्य भंडारण निगमों/राज्य एजेंसियों से किराए पर लेना
5. निजी भांडागारण स्कीम (पीडब्ल्यूएस)
6. परिसंपत्ति मुद्रीकरण के तहत गोदामों का निर्माण
7. उत्तर पूर्वी और पहाड़ी राज्यों के लिए संशोधित पीईजी स्कीम (15 वर्ष की गारंटी अवधि के साथ)

ये पहलें एचएलसी की सिफारिशों के अनुरूप हैं और इन्हें एक संरचित तथा क्षेत्र-विशिष्ट तरीके से लागू किया जा रहा है ताकि देश भर में सुदृढ़, वैज्ञानिक और लागत प्रभावी खाद्यान्न भंडारण सुनिश्चित हो सके।

देश में कुशल भंडारण प्रणाली विकसित करने के लिए भंडारण सुविधाओं को बढ़ाने हेतु निम्नलिखित प्रभावी उपाय किए जा रहे हैं:

पीईजी स्कीम 2008/09: पीईजी स्कीम के तहत, निजी निवेश को आकर्षित करते हुए 24 राज्यों में पारंपरिक गोदामों का निर्माण किया गया है। पीईजी स्कीम वर्ष 2008 में शुरू की गई थी। दिनांक 01.02.2026 की स्थिति के अनुसार गोदामों के लिए स्वीकृत कुल क्षमता 151.58 लाख टन है। इसमें से 148.61 लाख टन का निर्माण पूरा हो चुका है।

पीईजी स्कीम II (सीएपी की चरणबद्ध समाप्ति): गेहूं की खरीद करने वाले राज्यों, विशेष रूप से पंजाब और हरियाणा में नई कवर्ड क्षमता का निर्माण करने के लिए इन राज्यों में नई क्षमता स्वीकृत की गई थी ताकि खुली भंडारण क्षमता अर्थात पंजाब में 60 लाख टन और हरियाणा में 30 लाख टन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जा सके।

पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के लिए संशोधित पीईजी स्कीम : पूर्वोत्तर/पहाड़ी राज्यों में नई क्षमताएं निर्मित करने के लिए, निवेशकों को आकर्षित करने हेतु पीईजी स्कीम में उपयुक्त संशोधन किए गए हैं। इस स्कीम के अंतर्गत कुल 4.32 लाख टन क्षमता निर्मित होने का अनुमान है।

...3/-

पीपीपी पद्धति के तहत साइलो का निर्माण: भारत सरकार ने निजी क्षेत्र की भागीदारी से खाद्यान्न भंडारण में प्रचालन दक्षता में सुधार लाने और भंडारण सुविधाओं को उन्नत तथा आधुनिक बनाने के लिए, पीपीपी पद्धति के तहत देश भर में खाद्यान्न के थोक भंडारण के लिए स्टील साइलो के निर्माण को मंजूरी दी है।

तदनुसार, दिनांक 31.01.2026 की स्थिति के अनुसार, 57 स्थानों पर 32.25 लाख टन क्षमता वाले साइलो कार्यशील हैं।

केंद्रीय क्षेत्र स्कीम (सीएसएस): गोदामों के विस्तार के लिए, केंद्रीय क्षेत्र स्कीम (2017-25) के तहत, मंत्रालय ने 24 स्थानों (पूर्वोत्तर में 15 और पूर्वोत्तर क्षेत्र के अलावा अन्य क्षेत्रों में 9) पर गोदामों के निर्माण को मंजूरी दी थी, जिनकी पूर्वोत्तर क्षेत्रों में कुल क्षमता 1,05,890 टन और पूर्वोत्तर क्षेत्र के अलावा अन्य क्षेत्रों में 54,760 टन थी।

इस स्कीम के तहत, एफसीआई ने दिनांक 01.04.2017 से 01.02.2026 तक कुल 1,23,970 टन (पूर्वोत्तर क्षेत्रों में 72,550 टन और पूर्वोत्तर क्षेत्र के अलावा अन्य क्षेत्रों में 51,420 टन) क्षमता निर्मित की है। यह योजना दिनांक 31.03.2025 को समाप्त हो गई।

परिसंपत्ति मुद्रीकरण: इस स्कीम के तहत, एफसीआई के स्वयं के मौजूदा डिपुओं में पीपीपी मोड के माध्यम से अतिरिक्त क्षमता निर्मित की जाती है। दिनांक 01.02.2026 की स्थिति के अनुसार कुल 58,950 टन क्षमता का अधिग्रहण किया जा चुका है।

सीडब्ल्यूसी/एसडब्ल्यूसी/राज्य एजेंसियों/निजी पार्टियों से गोदाम किराए पर लेना: एफसीआई आवश्यकतानुसार सीडब्ल्यूसी, एसडब्ल्यूसी, राज्य एजेंसियों और निजी पार्टियों (पीडब्ल्यूएस स्कीम के तहत) से भंडारण क्षमता किराए पर लेती है।

इसके अलावा, एफसीआई द्वारा गोदामों का निर्माण बीआईएस मानकों, सीपीडब्ल्यूडी विनिर्देशों और सीपीडब्ल्यूडी द्वारा जारी मैनुअल के अनुसार किया जाता है ताकि एकरूपता, सुरक्षा और स्थापित अभियांत्रिकी प्रथाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

(घ): पीईजी, साइलो परिसंपत्ति मुद्रीकरण क्षमताओं का पीपीपी (सार्वजनिक निजी भागीदारी) पद्धति के तहत निर्माण किया जा रहा है, जिसमें पूंजीगत व्यय निजी पार्टियों द्वारा किया जाता है और किराए का भुगतान एफसीआई द्वारा किया जाता है।

*****